तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म के जा
11.3-16	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कार्यवश बाहर पधारे हैं अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7.4-16 को पेश हो।	
7.4-16	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कार्यवश बाहर पधारे है अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-5-16 को पेश हो।	
12-5-16	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कार्यवश बाहर पधारे हैं अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9.6-16 को पेश हो।	साहुन
9-6-16	आज यह पत्रावली कैम्पकोर्ट अटल सेवा केन्द्र जुरहरा पर पेश हुई। पक्षकार स्वयं उपस्थित सुना गया। वादी द्वारा यह दावा अंतर्गत धारा 88-89 188 RT Act के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी ख० नं० 1549/0.29, 1550/0.21 (हैक्टे.) 3587/1409/0.11 वाके ग्राम जुरहरा तह० कामां मे स्थित है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 5 की पैत्रिक आराजी है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 5 के पिता टिन्ना के भाईबंट मे आई है। जो वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 टिन्ना के नाम रिकार्ड मे दर्ज है वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 की माँ का सन् 1992 मे स्वर्गवास हो चुका है। अब प्रतिवादी संख्या 1 टिन्ना के मन मे बदयांन्ती आ गई है और वह समस्त आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहता है और आराजी को रहन बय मुन्तकिल करने पर अमादा है। विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमे वादी व तरतीबी प्रतिवादी ~~के संख्या~~ प्रतिवादी संख्या 1 के समान ही समान रूप से अधिकार निहित है। आराजी पैत्रिक होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम होरहे इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के साथ-2 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे	जो मन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपना जवाबदावा पेश करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत दावे को स्वीकार करते हुए दावा वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया। साक्ष्य वादी में वादी जमील के बयान दर्ज किए। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का समान अधिकार है। विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 ~~का~~ अकेला ही खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी पैत्रिक आराजी होने के कारण पक्षकारान का समान हित निहित है।	
	अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नं. 1549/0.29, 1550/0.21, 3587/1409/0.11 वाके ग्राम जुरहरा तह. कामां पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 लगायत 5 को बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त नंबरों पर पूर्व में हो रहे इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)	

Scanned with CamScanner